

संख्या ४५७५

पत्रावली सं०-1-137030

दिनांक २५.१२.०२



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण  
का  
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या २१५३ 2002 2003

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि चण्डमाल सिंह गौड़

अज्ञात रिपल सोसाइटी, नौ रंजाबाद एरा बॉर्ड,

लखीमपुर खीरी

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम,

1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 23/12/2007

तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 24/12 को हजार ८९

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उ० प्र०



वी० ए० ए० पी० ए० पी० ३ फर्स क्रि० न०-23-अ-2001-(5/1)-46,000-(कम्प्यूटर आफसेट)।

श्री राजेश गौड़, सचिव

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 04873/2022-2023

दिनांक 14/03/2023



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र**  
**(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )**

नवीनीकरण

संख्या:R/LKH/19632/2022-2023

पत्रावली संख्या:I-137030

दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि चन्द्रभान सिंह गौड़ मेमोरियल सोसाइटी, नौरंगाबाद परा रोड, लखीमपुर खीरी, 262701 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2953 दिनांक-24/12/2002 को दिनांक-24/12/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By**  
**(JAI PRAKASH)**

**640B32B7C6B3C47F9528435C2131D6A1750D33FC**

Date: 14/03/2023 4:16:54 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-14/03/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

*J. Prakash*



*Chandra*

